


तारीख
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

02/12

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को अवलोकन करने पर सामने आया की 2 वर्ष से अधिक का समय लेने पर भी वकील वादी ने लगील पेश नही की जिससे जजित हो रहा है की वादी का वाड को चलाये जाने के जोरि रुची नहीं है। अतः वाड अवर्गित आदेश 09 नियम 85 CPC के सहज खरीद लिया जा रहा है। पत्रावली फाजल शुक्रादेवत मन्तर ले कर होकर वाड नकलील डाखील यफरुदो।


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सुरजगढ़

नकलील आदेश। हेतु वादी किताबत लख
जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित नकलील
आदेश जारी है। अतः अन्तर्गत में
कि ... काफिली प्राप्त हुआ है। तब
। दि 12/12